	104. ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के प्रत्येक सदस्य तथा ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तह्त जन सेवक समझा जाएगा ।	परिषदों के सदस्य आदि जन सेवक होंगे ।
	105. इस विनियम के तह्त किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के सदस्य या किसी बिक्री के संबंध में ड्यूटी कर रहे उनके कोई अधिकारी ऐसे बिक्री में बिक रहे किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोली नहीं लगा सकते ।	सदस्य आदि को बिक्री में भाग लेने से विरत रहना होगा ।
	106. प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस विनियम अथवा के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को देंगे और वे ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को अपने विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करेंगे ।	अपराधों के संबंध में पुलिस के कर्त्तव्य तथा अधिकार और परिषद की सहायता ।
	107. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद विहित रीति में अपने अभिलेखा का वर्गीकरण तथा संरक्षण करेगा ।	अभिलेखों का वर्गीकरण तथा संरक्षण।
	108. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर अपने अभिलेखों की निरीक्षण की अनुमति देनी होगी तथा निर्धारित शुल्क की अदायगी पर उसकी प्रमाणिक प्रतियाँ भी देनी होगी ।	अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियाँ ।
	109.(1) इस विनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रशासक इस विनियम के प्रावधानों से अनसंगत उन प्रावधानों को जो इसमें शामिल है, की कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर सकता है । बशर्ते कि ऐसा आदेश इस विनियम के लागू होने से दो वर्षों की समाप्ति के बाद जारी नहीं होगा । (2) इस धारा के तहत् बनाए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।	कठिनाइयों को दूर करना ।
	110. (1) प्रशासक सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशित शर्तों के आधार पर इस विनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकता है । (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के लिए विशिष्टतया तथा बिना पूर्वाग्रह के, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं :– (क) धारा 6 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के तहत् किसी	